

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. बागेश्वर
दूरभाष नं० व फैक्स नं० 05963-220096
ई-मेल deobasicbgr@gmail.com

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
देहरादून।

पत्रांक/प्रा.शि./सेवा-2/ 4570 /स्था०/2026-27 दिनांक 29.08.2026

विषय : स्थानान्तरण आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक स्थानान्तरण आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड विभागीय वेबसाईट
www.schooleducation .uk.gov.in पर अपलोड की जानी है।

अतः स्थानान्तरण आदेश विभागीय वेबसाईट www.schooleducation .uk.gov.in में अपलोड करने की
कृपा कीजियेगा।

संलग्नक - यथोपरि।

भवदीय
29/8/26
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बागेश्वर।
आदेश संख्या/149 /अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक 29.08.2026

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश (उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति-पत्नी)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून के कार्यालय पत्रांक सेवायें-3(3)/06/3350-54/वार्षिक0स्था0/2026-27 दिनांक 14 जुलाई, 2026 के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में जनपद के रा.उ.प्रा.विद्यालयों में कार्यरत निम्नांकित अध्यापकों को उनके आवेदन पत्र में अंकित विकल्पों के क्रम में जनपदीय स्तरीय स्थानान्तरण समिति के अनुमोदन के उपरान्त वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17 ख (चार) की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद बागेश्वर के प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत रा.प्रा.वि. वेतनक्रम 44900-142400 लेवल-07 में कार्यरत निम्नांकित अध्यापकों को उसी पद एवं वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र. सं.	अध्यापक का नाम	पद नाम	स्थानान्तरण		अभ्युक्ति
			कहाँ से	कहाँ को	
01	श्री सोनी नगरकोटी	स.अ. /भाषा	रा.उ.प्रा.वि., भैरुचबट्टा, बागेश्वर	रा.उ.प्रा.वि., छाती, बागेश्वर	रिक्त पद के प्रति
02	श्री बृजेन्द्र देव	स.अ. /ग0/वि0	रा.उ.प्रा.वि., धन्यारी, कपकोट	रा.उ.प्रा.वि. तिमलावगड़ कपकोट	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी।

- 01 प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- 02 स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा, और न ही समयवृद्धि दी जायेगी।
- 03 स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 04 अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य "कार्यभार ग्रहण अवधि" (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य "यात्रा अवधि" (Journey time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 05 स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- 06 स्थानान्तरित शिक्षकों का माह सितम्बर, 2026 का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा, उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(विनय कुमार आर्य)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि.,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)

पृ.सं./प्रा.शि./4597-4586 /अनि.स्थानान्तरण /2026-27 दिनांक उक्तवत्
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, देहरादून।
- 02 जिलाधिकारी, बागेश्वर।
- 03 मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर।
- 04 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
- 05 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
- 06 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- 07 मुख्य शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर।
- 08 वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।
- 09 उप शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि., बागेश्वर, गरुड़ एवं कपकोट को इस निर्देश के साथ कि स्थानान्तरित शिक्षकों को स्थानान्तरण आदेश समायान्तर्गत अपने स्तर से उपलब्ध कराते हुए एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करवाना सुनिश्चित करें।
- 10 सम्बन्धित शिक्षक।
- 11 कार्यालय सुरक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि.,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बागेश्वर।
आदेश संख्या/ 154 /अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक 29.08.2026

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश (उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति-पत्नी)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून के कार्यालय पत्रांक सेवायें-3(3)/06/3350-54/वार्षिक0स्था0/2026-27 दिनांक 14 जुलाई, 2026 के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में जनपद के रा.प्रा.विद्यालयों में कार्यरत निम्नांकित अध्यापकों को उनके आवेदन पत्र में अंकित विकल्पों के क्रम में जनपदीय स्तरीय स्थानान्तरण समिति के अनुमोदन के उपरान्त वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17 ख (चार) की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद बागेश्वर के प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत रा.प्रा.वि. वेतनक्रम 44900-142400 लेवल-07 में कार्यरत निम्नांकित अध्यापकों को उसी पद एवं वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र. सं.	अध्यापक का नाम	पद नाम	स्थानान्तरण		अभ्युक्ति
			कहाँ से	कहाँ को	
01	श्री दीप चन्द्र	प्र.अ.	रा.प्रा.वि., छत्यानी, गरुड़	रा.प्रा.वि., डंगोली, गरुड़	रिक्त पद के प्रति
02	श्रीमती मीतू पंत	प्र.अ.	रा.प्रा.वि., सिलंगवाडी, गरुड़	रा.प्रा.वि., वज्यूला, गरुड़	रिक्त पद के प्रति
03	श्रीमती दीपा विष्ट	प्र.अ.	रा.प्रा.वि., कलूफिया, गरुड़	रा.प्रा.वि., दर्शानी, गरुड़	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी।

01 प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे।

02 स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा, और न ही समयवृद्धि दी जायेगी।

03 स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

04 अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य " कार्यभार ग्रहण अवधि" (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य " यात्रा अवधि" (Journey time) का ही उपभोग कर सकेंगे।

05 स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

06 स्थानान्तरित शिक्षकों का माह सितम्बर, 2026 का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा, उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(विनय कुमार आर्य)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि.,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)

पृ.सं./प्रा.शि./ 4552-61

/अनि.स्थानान्तरण /2026-27 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, देहरादून।

02 जिलाधिकारी, बागेश्वर।

03 मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर।

04 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।

05 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।

06 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।

07 मुख्य शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर।

08 वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।

09 उप शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि., बागेश्वर, गरुड़ एवं कपकोट को इस निर्देश के साथ कि स्थानान्तरित शिक्षकों को स्थानान्तरण आदेश समयान्तर्गत अपने स्तर से उपलब्ध कराते हुए एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करवाना सुनिश्चित करें।

10 सम्बन्धित शिक्षक।

11 कार्यालय सुरक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि.,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बागेश्वर।
आदेश संख्या/ 155 /अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक 29.08.2026
अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश (उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति-पत्नी)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून के कार्यालय पत्रांक सेवायें-3(3)/06/3350-54/वार्षिक0स्था0/2026-27 दिनांक 14 जुलाई, 2026 के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में जनपद के रा.प्रा.विद्यालयों में कार्यरत निम्नांकित अध्यापकों को उनके आवेदन पत्र में अंकित विकल्पों के क्रम में जनपदीय स्तरीय स्थानान्तरण समिति के अनुमोदन के उपरान्त वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17 ख (चार) की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद बागेश्वर के प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत रा.प्रा.वि. वेतनक्रम 35400-112400 लेवल-06 में कार्यरत निम्नांकित अध्यापकों को उसी पद एवं वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र. सं.	अध्यापक का नाम	पद नाम	स्थानान्तरण		अभ्युक्ति
			कहाँ से	कहाँ को	
01	श्रीमती अनूपा माजिला	स.अ.	रा.प्रा.वि., तोकगढिया, बागेश्वर	रा.प्रा.वि., पालनीकोट बागेश्वर	रिक्त पद के प्रति
02	श्री कमल नयन	स.अ.	रा.प्रा.वि., जौख, गरुड़	रा.प्रा.वि., बानरी, बागेश्वर	रिक्त पद के प्रति
03	श्रीमती खीमा कोरंगा	स.अ.	रा.प्रा.वि., चुचेर, कपकोट	रा.प्रा.वि., गाडगाँव, बागेश्वर	रिक्त पद के प्रति
04	श्री लोकेश सिंह	स.अ.	रा.प्रा.वि., वाछम, कपकोट	रा.प्रा.वि., बांसे, कपकोट	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी।

- 01 प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- 02 स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा, और न ही समयवृद्धि दी जायेगी।
- 03 स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 04 अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य " कार्यभार ग्रहण अवधि" (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य " यात्रा अवधि" (Journey time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 05 स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- 06 स्थानान्तरित शिक्षकों का माह सितम्बर, 2026 का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा, उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(विनय कुमार आर्य)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि.
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)

पृ.सं./प्रा.शि./ 4562-69 /अनि.स्थानान्तरण /2026-27 दिनांक उक्तवत्
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, देहरादून।
- 02 जिलाधिकारी, बागेश्वर।
- 03 मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर।
- 04 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
- 05 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
- 06 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- 07 मुख्य शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर।
- 08 वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।
- 09 उप शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि., बागेश्वर, गरुड़ एवं कपकोट को इस निर्देश के साथ कि स्थानान्तरित शिक्षकों को स्थानान्तरण आदेश समयान्तर्गत अपने स्तर से उपलब्ध कराते हुए एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करवाना सुनिश्चित करें।

10 सम्बन्धित शिक्षक।

11 कार्यालय सुरक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि.,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बागेश्वर।
आदेश संख्या/ 156 /अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक 29.08.2026

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश (तलाकसुदा)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून के कार्यालय पत्रांक सेवायें-3(3)/06/3350-54/वार्पि0स्था0/2026-27 दिनांक 14 जुलाई, 2026 के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में जनपद के रा.उ.प्रा.विद्यालयों में कार्यरत निम्नांकित अध्यापकों को उनके आवेदन पत्र में अंकित विकल्पों के क्रम में जनपदीय स्तरीय स्थानान्तरण समिति के अनुमोदन के उपरान्त वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17 ख (पॉच) की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद बागेश्वर के प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत रा.प्रा.वि. वेतनक्रम 44900-142400 लेवल-07 में कार्यरत निम्नांकित अध्यापकों को उसी पद एवं वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

क. सं.	अध्यापक का नाम	पद नाम	स्थानान्तरण		अभ्युक्ति
			कहाँ से	कहाँ को	
01	श्री प्रदीप कुमार	स.अ. /वि0/ग0	रा.उ.प्रा.वि., चुघेर , कपकोट	रा.उ.प्रा.वि., गैसुडीटकनार, बागेश्वर	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी।

- 01 प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- 02 स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा, और न ही समयवृद्धि दी जायेगी।
- 03 स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 04 अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य " कार्यभार ग्रहण अवधि" (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य " यात्रा अवधि" (Journey time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 05 स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- 06 स्थानान्तरित शिक्षकों का माह सितम्बर, 2026 का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा, उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(विनय कुमार आर्य)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि.,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)

पृ.सं./प्रा.शि./ 4507-17

/अनि.स्थानान्तरण /2026-27 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, देहरादून।
- 02 जिलाधिकारी, बागेश्वर।
- 03 मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर।
- 04 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
- 05 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
- 06 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- 07 मुख्य शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर।
- 08 वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।
- 09 उप शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि., बागेश्वर, गरुड़ एवं कपकोट को इस निर्देश के साथ कि स्थानान्तरित शिक्षकों को स्थानान्तरण आदेश समयान्तर्गत अपने स्तर से उपलब्ध कराते हुए एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करवाना सुनिश्चित करें।
- 10 सम्बन्धित शिक्षक।
- 11 कार्यालय सुरक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि.,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बागेश्वर।
आदेश संख्या/ 152 /अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक 29.08.2026

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश (वरिष्ठ कार्मिक)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून के कार्यालय पत्रांक सेवायें-3(3)/06/3350-54/वार्षिक0स्था0/2026-27 दिनांक 14 जुलाई, 2026 के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में जनपद के रा.प्रा.विद्यालयों में कार्यरत निम्नांकित अध्यापकों को उनके आवेदन पत्र में अंकित विकल्पों के क्रम में जनपदीय स्तरीय स्थानान्तरण समिति के अनुमोदन के उपरान्त वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17 ख (पॉच) की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद बागेश्वर के प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत रा.प्रा.वि. वेतनक्रम 35400-112400 लेवल-06 में कार्यरत निम्नांकित अध्यापकों को उसी पद एवं वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

क. सं.	अध्यापक का नाम	पद नाम	स्थानान्तरण		अभ्युक्ति
			कहाँ से	कहाँ को	
01	श्री नारायण दत्त सुयाल	स.अ.	रा.प्रा.वि., नौटा, गरुड़	रा.प्रा.वि सिमस्यारी, बागेश्वर	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी।

- 01 प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- 02 स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा, और न ही समयवृद्धि दी जायेगी।
- 03 स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 04 अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य " कार्यभार ग्रहण अवधि" (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य " यात्रा अवधि" (Journey time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 05 स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- 06 स्थानान्तरित शिक्षकों का माह सितम्बर, 2026 का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा, उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(विनय कुमार आर्य)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि.,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

पृ.सं./प्रा.शि./ 4529-39 /अनि.स्थानान्तरण /2026-27 दिनांक उक्तवत्
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, देहरादून।
- 02 जिलाधिकारी, बागेश्वर।
- 03 मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर।
- 04 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
- 05 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
- 06 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- 07 मुख्य शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर।
- 08 वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।
- 09 उप शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि., बागेश्वर, गरुड़ एवं कपकोट को इस निर्देश के साथ कि स्थानान्तरित शिक्षकों को स्थानान्तरण आदेश समयान्तर्गत अपने स्तर से उपलब्ध कराते हुए एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करवाना सुनिश्चित करें।
- 10 सम्बन्धित शिक्षक।
- 11 कार्यालय सुरक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि.,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बागेश्वर।
आवेश संख्या/ 151 /अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक 29.08.2026

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश (दिव्यांगता)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून के कार्यालय पत्रांक सेवायें-3(3)/06/3350-54/वार्षिक0स्था0/2026-27 दिनांक 14 जुलाई, 2026 के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में जनपद के रा.प्रा.विद्यालयों में कार्यरत निम्नांकित अध्यापकों को उनके आवेदन पत्र में अंकित विकल्पों के क्रम में जनपदीय स्तरीय स्थानान्तरण समिति के अनुमोदन के उपरान्त वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17 ख (एक) की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद बागेश्वर के प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत रा.प्रा.वि. वेतनक्रम 35400-112400 लेवल-06 में कार्यरत निम्नांकित अध्यापकों को उसी पद एवं वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

क.सं.	अध्यापक का नाम	पद नाम	स्थानान्तरण		अभ्युक्ति
			कहाँ से	कहाँ को	
01	श्री सुरेश कुमार	स.अ.	रा.प्रा.वि., भनार, कपकोट	रा.प्रा.वि., भटखोला, बागेश्वर	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी।

- 01 प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- 02 स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा, और न ही समयवृद्धि दी जायेगी।
- 03 स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 04 अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य " कार्यभार ग्रहण अरधि" (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य " यात्रा अवधि" (Journey time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 05 स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- 06 स्थानान्तरित शिक्षकों का माह सितम्बर 2026 का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा, उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(विनय कुमार आर्य)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि.,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

पृ.सं./प्रा.शि./ 4518 - 28

/अनि.स्थानान्तरण /2022-23 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, देहरादून।
- 02 जिलाधिकारी, बागेश्वर।
- 03 मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर।
- 04 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
- 05 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
- 06 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- 07 मुख्य शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर।
- 08 वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।
- 09 उप शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि., बागेश्वर, गरुड़ एवं कपकोट को इस निर्देश के साथ कि स्थानान्तरित शिक्षकों को स्थानान्तरण आदेश समयान्तर्गत अपने स्तर से उपलब्ध कराते हुए एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करवाना सुनिश्चित करें।
- 10 सम्बन्धित शिक्षक।
- 11 कार्यालय सुरक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि.,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बागेश्वर।
आदेश संख्या/ 153 /अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक 29.08.2026

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश (दिव्यांगता/गम्भीर बिमारी)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून के कार्यालय पत्रांक सेवायें-3(3)/06/3350-54/वार्षिक0स्था0/2026-27 दिनांक 14 जुलाई, 2026 के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में जनपद के रा.प्रा.विद्यालयों में कार्यरत निम्नांकित अध्यापकों को उनके आवेदन पत्र में अंकित विकल्पों के क्रम में जनपदीय स्तरीय स्थानान्तरण समिति के अनुमोदन के उपरान्त वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17 ख (एक) की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद बागेश्वर के प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत रा.प्रा.वि. वेतनक्रम 44900-142400 लेवल-07 में कार्यरत निम्नांकित अध्यापकों को उसी पद एवं वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र. सं.	अध्यापक का नाम	पद नाम	स्थानान्तरण		अभ्युक्ति
			कहाँ से	कहाँ को	
01	श्री गजेन्द्र कुमार	प्र.अ.	रा.प्रा.वि., जमुवाखल, कपकोट	रा.प्रा.वि कौसानी, गरुड़	रिक्त पद के प्रति
02	श्री अशोक कुमार	प्र.अ.	रा.प्रा.वि., राकसी कपकोट	रा.प्रा.वि पन्द्रहपाली, बागेश्वर	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी।

- 01 प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- 02 स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा, और न ही समयवृद्धि दी जायेगी।
- 03 स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 04 अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य " कार्यभार ग्रहण अवधि" (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य " यात्रा अवधि" (Journey time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- 05 स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- 06 स्थानान्तरित शिक्षकों का माह सितम्बर, 2026 का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा, उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(विनय कुमार आर्य)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि.,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)

पृ.सं./प्रा.शि./ 4540-51 /अनि.स्थानान्तरण /2026-27 दिनांक उक्तवत्
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, देहरादून।
- 02 जिलाधिकारी, बागेश्वर।
- 03 मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर।
- 04 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
- 05 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
- 06 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- 07 मुख्य शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर।
- 08 वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।
- 09 उप शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि., बागेश्वर, गरुड़ एवं कपकोट को इस निर्देश के साथ कि स्थानान्तरित शिक्षकों को स्थानान्तरण आदेश समयान्तर्गत अपने स्तर से उपलब्ध कराते हुए एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करवाना सुनिश्चित करें।
- 10 सम्बन्धित शिक्षक।
- 11 कार्यालय सुरक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि.,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।